रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या:-273/2024/699/22-2-2023-17(164)/2016

लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी असलूक (बन्दी संख्या-8388) पुत्र मजरूद्दीन निवासी शाहपुर थाना-भोजपुर, जनपद मुरादाबाद, जिन्हे सत्र परीक्षण सं0-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा 307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29-05-2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14-05-2022 तक 20 वर्ष 11 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 11 माह 29 दिन की सपरिहार सजा, बन्दी की सन्तोषजनक जेल आचरण, बन्दी की वृद्धावस्था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि यदि बन्दी को अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के सन्तोषानुसार दो जमानते तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव

संख्या-273/2024/699(1)22-2-2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाये उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद।

4- वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारगार आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-370/2024 असलूक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-09-2024 क सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in